न्यायालय- सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम, सन्त कबीर नगर ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2951/2026

सरकार बनाम आशीष कुमार।

थाना- बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर।

12.08.2026

अभियुक्त आशीष कुमार द्वारा मुकदमा संख्या-14968/2026, मु०अ०सं०-190/2022 अन्तर्गत धारा-60 **Ex Act.** थाना-बखिरा, जनपद-संत कबीर नगर में स्वयं से न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी बेगुनाह निर्दोष है तथा उसे रंजिशन मुकदमे में फंसा दिया गया है।

अभियोजन की ओर से कथन किया गया कि अपराध जमानतीय है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकनीय है कि मामला 7 वर्ष से कम दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अभियुक्त स्वयं से न्यायालय में उपस्थित है। अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त आशीष कुमार द्वारा **मु० पच्चीस हजार रू०** का **व्यक्तिगत बंध** पत्र एवं समान धनराशि का एक **प्रतिभू** दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(संजय राज पांडे)
सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम,
संत कबीर नगर।
J.O. Code-UP 02422

Digitally signed by SANJAY RAJ PANDE
Date: 2026.08.12 16:24:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court